

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1071

जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में लंबित रिक्तियों हेतु प्रस्तावों को मंजूरी

1071 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे भारत में उच्च न्यायालयों में रिक्तियाँ भरने के लिए लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो न्याय विभाग के पास लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में, तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरम्भ संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नाम सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह लिए भेजे जाते हैं । तथापि, सरकार केवल उन व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश एससीसी द्वारा की जाती है ।

04.02.2022 तक उच्च न्यायालयों में 1098 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 687 न्यायाधीश पद पर हैं, न्यायाधीशों के 411 रिक्त पदों को भरा जाना है । सरकार ने वर्ष 2021 में 120 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की है । वर्तमान में, 172 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के मध्य प्रसंकरण के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में शेष 239 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें प्राप्त होना बाकी है । वर्ष 2021 के दौरान अधिसूचित उच्च न्यायालय-वार नियुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण और प्रस्तावों का विवरण जो 04.02.2022 तक सरकार और एससीसी के मध्य प्रसंकरण के विभिन्न प्रक्रमों पर है, **उपाबंध** पर है ।

उपाबंध

उच्च न्यायालयों में लम्बित रिक्तियों हेतु प्रस्तावों को मंजूरी के संबंध में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1071 जिसका उत्तर 10.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान अधिसूचित नियुक्तियों की संख्या	04.02.2022 तक सरकार और एससीसी के मध्य प्रस्संकरण में प्रस्तावों की संख्या
1	इलाहाबाद	17	27
2	आंध्र प्रदेश	02	09
3	बॉम्बे	06	24
4	कलकत्ता	08	13
5	छत्तीसगढ़	03	01
6	दिल्ली	02	20
7	गुवाहाटी	06	-
8	गुजरात	07	-
9	हिमाचल प्रदेश	01	-
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	02	04
11	झारखंड	04	01
12	कर्नाटक	06	04
13	केरल	12	03
14	मध्य प्रदेश	08	12
15	मद्रास	05	08
16	मणिपुर	-	01
17	मेघालय	-	-
18	ओडिशा	04	05
19	पटना	06	23
20	पंजाब और हरियाणा	06	-
21	राजस्थान	08	04
22	सिक्किम	-	-
23	तेलंगाना	07	13
24	त्रिपुरा	-	-
25	उत्तराखंड	-	-
	योग	120	172
